न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 564/2018

प्रार्थीः– बनाम अप्रार्थीगणः–

तहसीलदार (भूमिधारक), पाली

1. श्री बद्रीलाल पुत्र श्री बंशीलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा पाली के का0मु0
2. 1/1 श्री आनंद
   1/2 श्री प्रकाश
   1/3 श्री बालकिशन
   1/4 श्री कमल
   1/5 श्री अशोक पिसरान श्री बद्रीलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा, पाली
3. बेला पुत्री श्री बद्रीलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा, पाली
4. भंवरीदेवी पत्नि श्री बद्रीलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा, पाली
5. श्री मदनलाल पुत्र श्री बंशीलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा, पाली
6. श्री गोविंदराम पुत्र बंशीलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा, पाली
7. श्रीमती सायरी देवी पुत्री श्री बंशीलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा, पाली.
8. श्री शिवनारायण पुत्र श्री रामलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा, पाली
9. श्री प्रहलाद पुत्र श्री रामलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा, पाली
10. श्री राजेश पुत्र श्री रामलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा, पाली
11. कन्या पुत्री श्री रामलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी पाली
12. सरस्वती पुत्री श्री रामलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा, पाली
13. आशा पुत्री श्री रामलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा, पाली
14. दुर्गादेवी पत्नि श्री रामकिशन जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा, पाली
15. श्रीमती शांतिदेवी पत्नि श्री जीवराज शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी जंगीवाड़ा, पाली
16. श्री रामकिशन पुत्र श्री हस्तीमल जाति कलाल निवासी पाली
17. श्री राजाराम पुत्र श्री सवाराम कौम मीणा निवासी कानेलाव
18. श्री गिरधारी पुत्र श्री बालाराम जाति ब्राह्मण निवासी कूरना
19. श्री जीवराज पुत्र श्री बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी पाली

उपस्थितिः–

1. श्री केशरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

2. श्री मनोज श्रीनाथ, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 17

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

–:निर्णयः– दिनांक - 19-12-2019

1. प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण बद्रीलाल पुत्र बंशीलाल के कायम मुकाम आनद प्रकाश बालकिशन कमल अशोक पुत्र बद्रीलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा पाली वगैराह पाली तहसील पाली जिला पाली द्वारा ग्राम गुन्दोज प्रथम खसरा नम्बर 823 रकबा 26.04 किस्म बारानी दोयम भूमि का कृषि से अकृषि उपयोग परिवर्तन करने पर धारा 177 के तहत प्रकरण बनाकर उक्त भूमि को सरकारी घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं प्रार्थी का धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र सफल होने योग्य है। ग्राम गुन्दोज प्रथम के खसरा नम्बर 823 रकबा 26.04 किस्म बारानी दोयम खातेदार बद्रीलाल के कायम मुकाम आनद प्रकाश बालकिशन कमल अशोक पुत्र बद्रीलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा पाली ग्राम गुन्दोज प्रथम में कृषि भुमि पर बिना संपरिवर्तन के स्वरूप बदल किया जाकर मौके पर आवासीय कृषि उपयोग होने से और स्थिति बिगड़ सकती है। अतः इस भूमि में किसी भी प्रकार कोई निर्माण इत्यादि नही करें इस हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा पारित पाबन्द करना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगणों को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि सरहद मौजा गुन्दोज प्रथम में स्थित भूमि खसरा नम्बर 823 रकबा 26.04 बिघा भूमि पर अप्राथीगणों द्वारा किसी प्रकार का कार्य न तो स्वयं करे तथा न ही अपने अधीनस्थ नौकर चाकर ऐजेन्ट इत्यादि से ही उक्त कार्य करावें तथा न ही उक्त कृषि भूमि का अन्य किसी को बेचान एवं हस्तांतरण ही करावें।

2. प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 व 18 से 19 दिनांक 21.01.2019 को बावजुद नोटिस तामील के न्यायालय में उपस्थित नही आने से उनका जवाब का अवसर समाप्त किया जाकर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने का आदेश दिया गया।

4. वकील अप्रार्थीसंख्या 17 को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर एवं समय मिलने के बावजुद जवाब पेश नही किया गया। इसलिये दिनांक 14.03.2019 को अप्रार्थीगण संख्या 17 का जवाब पेश करने का अवसर समाप्त किया गया।

5. बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की सुनी गई।

6. तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार) ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण बद्रीलाल पुत्र बंशीलाल के कायम मुकाम आनद प्रकाश बालकिशन कमल अशोक पुत्र बद्रीलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा पाली वगैराह पाली तहसील पाली जिला पाली द्वारा ग्राम गुन्दोज प्रथम खसरा नंम्बर 823 रकबा 26.04 किस्म बारानी दोयम भूमि का कृषि से अकृषि उपयोग परिवर्तन करने पर धारा 177 के तहत प्रकरण बनाकर उक्त भूमि को सरकारी घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं प्रार्थी का धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र सफल होने योग्य है। ग्राम गुन्दोज प्रथम के खसरा नम्बर 823 रकबा 26.04 किस्म बारानी दोयम खातेदार बद्रीलाल

सहायक कलेक्टर
पाली

के कायम मुकाम आनद प्रकाश बालकिशन कमल अशोक पुत्र बद्रीलाल जाति मेवाड़ा कलाल निवासी जंगीवाड़ा पाली ग्राम गुन्दोज प्रथम में कृषि भुमि पर बिना संपरिवर्तन के स्वरूप बदल किया जाकर मौके पर आवासीय कृषि उपयोग होने से और स्थिति बिगड़ सकती है। अतः इस भूमि में किसी भी प्रकार कोई निर्माण इत्यादि नही करें इस हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा पारित पाबन्द करना आवश्यक हैं। पटवारी हल्का दयालपुरा द्वारा दिनांक 13.06. 2018 को मौका पर जाकर जांच की जाकर मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई हैं। मौका पर कार्य ओर किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगणों को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि सरहद मौजा गुन्दोज प्रथम में स्थित भूमि खसरा नम्बर 823 रकबा 26.04 बिघा भूमि पर अप्राथीगणों द्वारा किसी प्रकार का कार्य न तो स्वयं करे तथा न ही अपने अधीनस्थ नोकर चाक ऐजेन्ट इत्यादि से ही उक्त कार्य करावें तथा न ही उक्त कृषि भूमि का अन्य किसी को बेचान एवं हस्तांतरण ही करावें।

7. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया की तहसीलदार पाली द्वारा जो तथ्य बताये गये है उनसे में असहमत हुँ क्योकि मौके पर कृषि भूमि का उपयोग कृषि कार्य करने हेतू किया जा रहा है। उक्त कृषि भूमि के किसी प्रकार का परिवर्तन किया जायेगा। आप अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं करें।

8. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। मौजा ग्राम गुन्दोज प्रथम खसरा नम्बर 823 रकबा 26.04 किस्म बारानी दोयम भूमि स्थित है। तहसीलदार पाली ने बहस ने निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि पर भूखण्ड सड़क/पत्थर गढी बनाकर निर्माण किया जा रहा है इस कारण कृषि भूमि के परिवर्तन की संभावना है उक्त कारण से कृषि भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी जारी की जाती है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थी किसी प्रकार का अकृषि कार्य अप्रार्थी न तो स्वंय करें तथा न ही अपने अधीनस्थ किसी नौकर चाकर एजेंट इत्यादि के माध्यम से करावें तथा मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति का अप्रार्थी बनाये रखें।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 19-12-2019 को मेरें द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.01.10 17:03:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: